न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
प्रकरण संख्या : 65/2018
उनवान : 1. भंवरी देवी पत्नी श्री बीन्जाराम, निवासी ग्राम धानास, पोस्ट जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई (पचार), तहसील व जिला जयपुर।
2. बीन्जाराम पुत्र स्व. श्री भोलूराम निवासी ग्राम धानास, पोस्ट जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई (पचार), तहसील व जिला जयपुर।

बनाम

1. ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी, पंचायत समिति सांभरलेक, जिला जयपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी।
2. रामलाल वर्मा पुत्र श्री किशनलाल वर्मा, निवासी दूधवालों की ढाणी के पास, हिंगोनिया, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

निर्णय दिनांक : 15.07.2022
अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री ओ.पी. वर्मा निगरानीकर्ता की ओर से।
ब) सुरेश चाहर गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित नियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 04.03.2014 बहक रामलाल वर्मा

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रसंगत पटट्ा संख्या 10 दिनांक 4.03.2014 को मिसल संख्या 20/2013–14, दिनांक दायर 20.12.2013 संकल्प ख्या 1 रसीद संख्या 96 गैर कानूनी तरीके से विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के हक में गलत, विधि विरूद्व व आवंटन नियमों की पालना के बगैर जारी किया या है। प्रश्नगत पटटे में वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि निगरानीकर्तागण का कब्जा अर्से कदीम से लगातार चला आ रहा है व निगरानीकर्तागण ने उसमें अपना बाडा साजकर पशु बांधने के काम में लगातार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 2 धनबल एवं लट्ठ के बल पर प्रार्थी के बाडे पर कब्जा करने के उद्देश्य से सरपंच से सांठगांठ कर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। निगरानीकर्तागण अर्से कदीम से बाडा पशुओं को बांधने चारा रखने आदि के उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। परन्तु विपक्षीगण साजकर प्रार्थी के बाडे को हडप करने के उद्देश्य से उक्त प्रश्नगत पट्टा सरपंच से मिलीभगत कर प्रार्थी की भूमि का फर्जी पट्टा तैयार कराया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा कराए खिलाफ कानूनी व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टा जारी करने संबंधी नियमों की पालना नहीं कर विपक्षी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे से पूर्व व उसके बाद कभी भी विपक्षी संख्या 2 का कब्जा नहीं रहा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना वास्तविक तथ्यों की जानकारी के जारी किया गया है। उक्त पट्टा दिनांक 04.03.2014 को विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी किया गया जो 202.66 वर्गगज का है, जो निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे का दिया गया है जिसका 50 वर्ष पूर्व से ही अधिक समय से निगरानीकर्तागण का कब्जा ा आ रहा है तथा करीब 50 वर्ष पूर्व से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिसमें /2 हिस्से का पट्टा विपक्षी संख्या 2 को विपक्षी संख्या 1 ने दिया है। जिसका विपक्षी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नही था, विपक्षी संख्या 2 ने सरपंच

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) ज...

मिलीभगत कर उक्त फर्जी पट्टा बिना मौके पर गये व बिना विधिक प्रकिया बनाये दिया गया है, इसलिये निरस्तनीय है।

निगरानीकर्तागण व उनके वंशजों के समय से उपरोक्त भूमि को उपयोग उपभोग लेते आ रहे हैं। पशु बांधने का बाडा बनाकर रह रहे थे। निगरानीकर्तागण करीब वर्ष पूर्व से बीमार होने के कारण अपने पुत्र शंकरलाल के पास रामकुई पचार, ला जयपुर रहने आ गये, तब पीछे से मौका पाकर गैर निगरानीकर्तागण ने साज मौका पाकर बिना विधिक प्रकिया से अवैध रूप से विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी ख्या 2 को पट्टा जारी कर दिया। जिसमें 50 वर्षों से अधिक समय से गरानीकर्तागण पशु बांधन के काम में ले रहे हैं। निगरानीकर्तागण ने विपक्षी संख्या के पट्टे की नकल प्राप्त कर देखा तो विपक्षी संख्या 2 को निगरानीकर्तागण के ब्जेशुदा बाडे के 1/2 हिस्से का पट्टा सरपंच से मिलकर फर्जी तैयार करवाया ा है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कहीं भी कोरम के हस्ताक्षर नहीं है, ना स्वयं के वार्ड के वार्ड पंच के हस्ताक्षर हैं। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने साज उक्त पट्टा जारी करने करने के लिए एक गलत मौका रिपोर्ट दिनांक 09.2013 पंच कमीशन से तैयार करवाई गई, जिसमें बिना जांच किये मौका रिपोर्ट ा दी गई। इस बात की जांच नहीं की कि मौके पर निगरानीकर्तागण का बाडा है, केन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गैर गरानीकर्ता संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 गांव की रहने वाला ही नही है। वह दूसरे गांव में रहता है, जिसका यहां कोई शन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम नही है, ना ही पट्टे में गवाहों के ताक्षर है ना ही आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में जो आपत्ति नोटिस जारी किये ने थे, वे भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से जारी नही किये फिर खानापूर्ति रने लिए फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया। प्रश्नगत पट्टा जारी करने पूर्व अधीनस्थ म पंचायत ने कोई आम सूचना जारी नहीं की, ना ही आपत्ति मांगी गई, ना ही स्तविकता की जांच की गई बल्कि विपक्षी संख्या 2 के प्रभाव में आकर गैर गरानीकर्ता संख्या 2 को नाजायज लाभ पंहुचाने की गरज से प्रश्नगत पट्टा जारी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के कब्जाशुदा बाडे का 1/2 हिस्से का पट्टा ारी कर भयंकर त्रुटि की है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पट्टा आवेदन त्र व शपथ पत्र में लिखा है उसका 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ हा है तथा उसमें पक्के मकानात बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है जो कि गलत । गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 उक्त गांव में कभी नहीं रहा, ना ही उक्त गांव का शन कार्ड पहचान पत्र आदि है, दूसरे गांव की रहने वाला है, लेकिन गैर गरानीकर्ता संख्या 1 ने इस ओर कोई ध्यान न देकर साज कर गैरकानूनी तरीके उक्त पट्टा जारी किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी करते समय बिना मौके की स्थिति देखे, बिना पंचायती रिकार्ड देखे, बिना कोई जांच किये कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव का रहने वाला नही है, ना ही उसका राशन कार्ड बना हुआ है, ना ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कब्जा है, ना ही मकान बना हुआ है, फिर भी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में उक्त पट्टा जारी किया जाता है, जो 50 वर्षो से वहां रह रहा हो, कच्चे पक्के मकानात् बने हुए हो, जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए पट्टा ले रहा हो। लेकिन अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने सभी नियमों को ताक में रखते हुए गुपचुप में कार्यवाही करतें हुए गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में पट्टा जारी कर गंभीर कानूनी त्रूटि की है। उक्त पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को विपक्षी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा बाडे में कब्जा करने की कोशिश करने व ऐलानिया धमकी देने पर हुई कि मैने इसका पट्टा पूर्व में बनवा लिया है, मै कब्जा लेकर ही रहुंगा। इस पर निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के फर्जी पट्टे की नकल व कागजात निकलवाये। निगरानीकार के बाडे पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा जबरन कब्जा करने के प्रयास के बाद मालूमात करने पर तथाकथित प्रशगत पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तब पता चला कि प्राथी के अर्श कदीम से काबिज बाडे पर साजकर तथाकथित प्रश्नगत पट्टा तैयार करता लिया गया है। इस प्रकार गुपचुप में तैयार किये गये पट्टा निरस्त किये जाने है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत कतई गैर कानूनी और होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी
ायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 10
ांक 04.03.2014 बहक विपक्षी संख्या 2 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी
ये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। गैर निगरानीकार को नोटिस सम्यक रूप
तामील होने पर भी गैर निगरानीकार अनुपस्थित रहा है। दौराने सुनवाई गैर
रानीकार को आवाज दिलाई गई बारम्बार आवाज दिलवाई गई बावजूद इसके
निगरानीकार अनुपस्थित रहा है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता
रानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पट्टा
ख्या 10 दिनांक 04.03.2014 को मिसल संख्या 20/2013–14, दिनांक दायर 20.
2013 संकल्प संख्या 1 रसीद संख्या 96 विधि विरूद्ध जारी किया गया है। वर्णित
ण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी
ब्जा नहीं रहा है। गैर निगरानीकार संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि
रानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है व निगरानीकर्तागण ने उसमें अपना बाडा
नाकर पशु बांधने के काम में लगातार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है।
ट्टा दिनांक 04.03.2014 को विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी किया गया जो
2.66 वर्गगज का है, जो निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे का दिया गया है
सका 50 वर्ष पूर्व से ही अधिक समय से निगरानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा
। निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे के 1/2 हिस्से का पट्टा सरपंच से मिलकर
र्जी तैयार करवाया हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कहीं भी कोरम के
स्ताक्षर नहीं है, ना ही स्वयं के वार्ड के वार्ड पंच के हस्ताक्षर हैं। गैर निगरानीकर्ता
ख्या 2 इस गांव का रहने वाला ही नही है। वह दूसरे गांव में रहता है जिसका
हां कोई राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम नही है, गैर निगरानीकार
ख्या 2 ग्राम खेडी अलूफा का रहने वाली है, जिसके सबूत के तौर पर निगरानीकार
ा उस गांव की प्रमाणित मतदाता सूची की प्रति पेश ही है, जो वर्ष 2014 की है।
थ ही ना ही पट्टे में गवाहों के हस्ताक्षर है ना ही आबादी भूमि के विक्रय के
ंध में जो आपत्ति नोटिस जारी किये जाने थे, वे भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी
ार से जारी नही किये। केवल कागजों में ही आपत्ति नोटिस की खानापूर्ति की
ई। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पट्टा आवेदन पत्र व शपथ पत्र में लिखा
उसका 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें पक्के
काना बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है जो कि गलत है। अधीनस्थ ग्राम
ायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी करते समय बिना मौके की
थिति देखे, बिना पंचायती रिकार्ड देखे बिना कोई जांच किये कि गैर निगरानीकर्ता
ख्या 2 इस गांव का रहने वाला नही है, ना ही उसका राशन कार्ड बना हुआ है,
ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कब्जा है, ना ही मकान बना हुआ है, फिर भी
थ्यों की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ
म पंचायत आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी पंचायत समिति सांभर लेक
ला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 10 दिनांक 04.03.2014 बहक विपक्षी
ख्या 2 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगरानीकार/अधिवक्ता गैर निगरानीकार को बारम्बार आवाज दिलाने पर भी
नुपस्थित रहा है।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का
वलोकन तथा अधिवक्ता निगरानीकार की एकतरफा बहस पर मनन कर इस
ष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष गैर निगरानीकार
ख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ कब्जे, रहवास के साक्ष्य के बतौर कोई
स्तावेज संलग्न नहीं किए हैं, जबकि नियमानुसार सामान्य रूप से आवेदन के साथ
ाशनकार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आई.डी. कार्ड आदि को बतौर साक्ष्य
स्तुत किया जाता है। यहां तक कि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने आवेदन पत्र में
पने कब्जे की अवधि का अंकन भी नहीं किया है और न ही आवेदन के साथ
त शपथ पत्र में कब्जे की अवधि का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में गैर
रानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 का कब्जा 30/50 वर्ष मानने

अतिरिक्त कलक्टर
जयपुर

ा कोई आधार नहीं है। जबकिं निगरानीकार द्वारा रहवास के साक्ष्य के तौर पर ब्जा साबित करने के लिए वोटर लिस्ट की प्रति पेश की है। ऐसी स्थिति में गैर गरानी सं. 2 को बिना कब्जे व रहवास के आधार पर जारी पट्टा संख्या 10 नांक 04.03.2014 अवैध सिद्ध होता है और निगरानी स्वीकार योग्य ज्ञात होती है। : उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की कर गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी पट्टा ख्या 10 दिनांक 04.03.2014 निरस्त किया जाता है तथा गैर निगरानीकार संख्या 1 निर्देश दिये जाते हैं कि 3 माह में विवादित भूमि का पट्टा कब्जे व रहवास के यों के आधार पर संबंधित को जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर क्रम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

32

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

& Add. District Magistrate-III ... PUR